

**न्यायालय— सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला —बालाघाट, (म.प्र.)**

आप.प्रक.क्रमांक—653/2011
संस्थित दिनांक—14/09/2011
फाईलिंग क.234503000842011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र रूपझर,
जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — **अभियोजन**

विरुद्ध

शेख शकील पिता मो. हमीद उम्र—34 वर्ष,
निवासी—ग्राम पोण्डी, पोस्ट लिंगा,
थाना परसवाड़ा, जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — **आरोपी**

// **निर्णय** //

(आज दिनांक—18/09/2015 को घोषित)

1— आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 337, 338 के अंतर्गत यह आरोप है कि उसने दिनांक—08.07.2011 को दोपहर 4:00 बजे थाना रूपझर अंतर्गत ग्राम छपरवाही नहर पुल के पास मेन रोड लोकमार्ग पर बस क्रमांक—एम.पी—50/पी—0236 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित कर, उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर फरियादी नीमा उर्फ हिरमाबाई को ठोस मारकर साधारण उपहति तथा घोर उपहति कारित किया।

2— अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि थाना रूपझर में पदस्थ उमेलाल झूलेश्वर को नीमा उर्फ हीरमाबाई की अस्पताल तहरीर जांच हेतु प्राप्त होने पर उक्त तहरीर की जांच उपरान्त फरियादी नीमा उर्फ हिरमाबाई एवं साक्षी फूलवतीबाई, कृपालसिंह, रूपेश कटरे, राकेश बोरकर के पूछताछ कर कथन लिया, जिसमें दिनांक—08.07.2011 को एस.के.एम. बस क्रमांक—एम.पी—50/पी—0236 के चालक द्वारा बस को लापरवाही पूर्वक एवं तेज गति से चलाकर आहत नीमा उर्फ हिरमाबाई को ठोस मारकर चोट पहुंचाना बताया गया। पुलिस थाना रूपझर द्वारा वाहन चालक आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक—94/2011, धारा—279, 337 भा.द.वि. के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस द्वारा आहत का चिकित्सीय परीक्षण करवाया गया। पुलिस ने विवेचना दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार

किया, दुर्घटना कारित वाहन जप्त कर जप्ती पंचनामा तैयार किया, जप्तशुदा वाहन का मैकेनिकल परीक्षण कराया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गए। विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा आहत नीमा उर्फ हिरमाबाई की एकसरे परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर आरोपी के विरुद्ध धारा-338 भा.द.वि. का इजाफा किया गया तथा आरोपी को गिरफ्तार कर अनुसंधान उपरांत आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया।

3— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337, 338 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया है।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है :-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-08.07.2011 को दोपहर 4:00 बजे थाना रूपझर अंतर्गत ग्राम छपरवाही नहर पुल के पास मेन रोड लोकमार्ग पर बस क्रमांक-एम.पी-50/पी-0236 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?
2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर आहत नीमा उर्फ हिरमाबाई को ठोस मारकर साधारण एवं घोर उपहति कारित किया ?

विचारणीय बिन्दुओं का सकारण निष्कर्ष :-

5— फूलबतीबाई (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी एवं आहत हिरमाबाई को पहचानती है। घटना करीब डेढ़ वर्ष पुरानी सुबह करीब साढ़े सात बजे की है। ग्राम छपरवाही में बस से उतरी तो उसके साथ हिरमाबाई भी थी, वे लोग बस के आगे-आगे जाने लगे तो बस वाले ने हिरमाबाई को ठोस मार दिया था। घटना के समय बस का ड्राईवर बस को चला रहा था। नीमा उर्फ हिरमाबाई को उक्त दुर्घटना में दाहिने पैर के जांघ में चोट आई थी। नीमा उर्फ हिरमाबाई को ईलाज हेतु बालाघाट हॉस्पिटल में ले गए थे। उक्त दुर्घटना ड्राईवर की गलती से हुई थी। दुर्घटना के तीन माह बाद हिरमाबाई की मृत्यु हो गई।

6— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि उसने हिरमाबाई बस से कैसे टकराई नहीं देखा था, क्योंकि वह बस के अंदर थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि हिरमाबाई को बस से उतारने के कारण बस धीमी गति से चल रही थी। इस प्रकार साक्षी ने अपने मुख्यपरीक्षण में दुर्घटना ड्राइवर की गलती से होना बताया है, किन्तु प्रतिपरीक्षण में हिरमाबाई को बस से टकराते हुए नहीं देखे जाने और स्वयं को बस के अंदर होने के कथन के आधार पर यह प्रकट होता है कि उसने दुर्घटना होते हुए नहीं देखी बल्कि दुर्घटना के पश्चात् प्राप्त जानकारी के आधार पर कथन कर रही है। साक्षी ने स्पष्ट रूप से यह भी नहीं बताया है कि घटना के समय आरोपी ही कथित दुर्घटना कारित वाहन बस का चालन कर रहा था।

7— रूपेश कटरे (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आहत हिरमाबाई को जानता है, जो उसके ही गांव की है। वह आरोपी को पहचानता है। घटना लगभग ढाई-तीन वर्ष पूर्व ग्राम छपरवाही के पास की है। घटना दिनांक को वह अपने बड़े पिताजी डोमाजी कटरे के साथ मोटरसाइकिल से उकवा बाजार जा रहा था। उक्त घटना दिनांक को एस.के.एम. बस छपरवाही नहर कॉसिंग के पास रूकी थी तो उसने बस के सामने हिरमाबाई को गिरा हुआ देखा और जिसके पैर से खून निकल रहा था। उसने बस के ड्राइवर को बोलकर बस को रोकने के लिए कहा, फिर हिरमाबाई को बाहर निकाला, उस समय बस को आरोपी चला रहा था। वह नहीं बता सकता कि उक्त दुर्घटना किसकी गलती से हुई थी। पुलिसवालों ने उसके बयान घर पर ही लिये थे। पुलिस को उसने घटनास्थल बता दिया था। उक्त घटनास्थल का नजरीनक्शा प्रदर्श पी-2 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने यह स्वीकार किया कि जब हिरमाबाई बस के सामने से जा रही थी तो बस के चालक ने बस को आगे बढ़ा दिया, जिससे वह बस की चपेट में आ गई थी। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि दुर्घटना किसकी गलती से हुई थी, वह नहीं बता सकता। इस प्रकार साक्षी के कथन से यह प्रकट होता है कि उसने घटना के पश्चात् मौके पर पहुंचकर घटना का वृत्तांत बताया है। यद्यपि साक्षी के कथन से उसके द्वारा चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में घटना का समर्थन किया जाना प्रकट नहीं होता है।

8— राकेश (अ.सा.4) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन की है कि वह आरोपी को जानता है। घटना लगभग दो वर्ष पूर्व बरसात के समय की है। घटना के

समय एक महिला एस.के.एम. बस से दिन के 4:30 बजे ग्राम छपरवाही के चौराहे में उतरी थी और बस से उतरकर बस के सामने तरफ से जा रही थी, तभी बस के ड्राइवर ने बस को आगे बढ़ा दिया, जिससे उसके पैर पर चोट आई थी। उक्त बस को आरोपी चला रहा था। पुलिस ने उसके समक्ष घटनास्थल का नजरीनक्शा प्रदर्श पी-2 बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दुर्घटना के समय वह बस के पास रोड पर खड़ा था। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसने जब मौके पर जाकर देखा था, तो बस खड़ी हुई थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि घटना के समय बस धीमी गति से चल रही थी। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि आहत की गलती से दुर्घटना हुई थी, किन्तु साक्षी का स्वतः कथन है कि यदि आहत बस के पीछे से आती तो दुर्घटना घटित नहीं होती, इसलिए आहत की गलती से दुर्घटना घटित हुई। इस प्रकार साक्षी ने स्वयं आहत की दुर्घटना में गलती होना स्वीकार किया होने से साक्षी के कथन से अभियोजन मामलों को महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त नहीं होता है।

9— डोमाजी (अ.सा.5) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी एवं आहत को पहचानता है। घटना वर्ष 2011 की दिन के लगभग 4:00 बजे ग्राम छपरवाही तिगड़े की है। घटना के समय वह बस से 100 फीट की दूरी पर मोटरसाइकिल से था, तो उसने देखा कि बस के सामने एक महिला गिरी हुई थी तो उसने बस के ड्राइवर को हाथ देकर बस को रोकने के लिए कहा था। उक्त दुर्घटना में आहत को दाएं पैर पर चोट थी। उक्त दुर्घटना किसकी गलती से हुई वह नहीं बता सकता। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि दुर्घटना आरोपी की गलती से हुई थी। इस प्रकार साक्षी के कथन से अभियोजन मामलों को महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त नहीं होता।

10— मिथलेश (अ.सा.6) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी शेख शकील को जानता है, जो उसके साथ एक ही कम्पनी की बस में काम करता था। उसके साथ ही वह थाना रूपझर गया था। पुलिस के कहने पर उसने प्रदर्श पी-4 एवं प्रदर्श पी-5 पर हस्ताक्षर किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके समक्ष पुलिस ने आरोपी से कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं की थी और न ही आरोपी को गिरफ्तार करने के संबंध में कोई कार्यवाही की थी। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस सुझाव से इंकार किया कि पुलिस ने उसके सामने आरोपी से बस जप्त कर जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी-4 तैयार किया था एवं आरोपी को

गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-5 तैयार किया था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि पुलिस ने उसके समक्ष कोई कार्यवाही नहीं की थी। इस प्रकार साक्षी ने अभियोजन मामलों का किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं किया है।

11— लक्ष्मीप्रसद चौहान (अ.सा.8) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी शेख शकील को जानता है। उसके सामने आरोपी शेख शकील से जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-4 अनुसार एक मिनी बस मय दस्तावेज के जप्त किये थे, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। वह वर्ष 2011 में एस.के.एम. बस में हेल्परी का कार्य करता था और आरोपी उक्त बस में ड्राइवरी का काम करता था। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी शेख शकील को गिरफ्तार किये जाने के संबंध में गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-5 बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसके समक्ष बस की जप्ती की कार्यवाही नहीं हुई थी तथा उसने पुलिस के कहने पर थाना रूपझर में हस्ताक्षर किये थे। इस प्रकार इस साक्षी ने जप्ती कार्यवाही का समर्थन नहीं किया है।

12— कृपाल मरावी (अ.सा.9) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी शेख शकील को नहीं जानता। आहत हिरमाबाई को जानता है। घटना लगभग दो-तीन वर्ष पूर्व की है। वह अपने घर पर था, उसकी पत्नी फूलवती तथा उसकी बहन हिरमा ग्राम उकवा बाजार गए थे। शाम को उसकी पत्नी घर लौटी तो उसने बताया कि बस से उतरते समय बस से हिरमाबाई टकरा गई थी। फिर वह अपनी पत्नी के साथ हिरमाबाई को देखने बालाघाट अस्पताल गया था। पुलिस ने घटना के बारे में उससे कोई पूछताछ नहीं की थी और न ही उसके बयान लिये थे। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस सुझाव से इंकार किया कि बस चालक की गलती से हिरमाबाई का एक्सीडेंट हुआ था। इस प्रकार साक्षी के कथन से यह स्पष्ट होता है कि घटना के पश्चात् उसकी बहन आहत हिरमाबाई ने उसे यह बताया था कि उसके स्वयं के बस से टकरा जाने से दुर्घटना हुई थी तथा बस चालक की गलती से दुर्घटना नहीं हुई थी।

13— डॉ. डी.के. राउत (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-19.08.2011 को जिला चिकित्सालय बालाघाट में रेडियोलॉजिस्ट के पद पर पदस्थ था। दिनांक-09.07.2011 को एक्सरे टेक्निशियन ए.के. सेन ने आहत नीमाबाई पति धनसिंह उम्र-45 वर्ष, निवासी दिनाटोला, थाना रूपझर के दोनों कूल्हों की

हड्डीयों तथा दाहिने पैर का एक्सरे किया था, जिसका एक्सरे प्लेट क्रमांक-2536 था, जिसे डॉक्टर माने द्वारा एक्सरे हेतु रिफर किया गया था। उपरोक्त एक्सरे प्लेट का परीक्षण करने पर उसने उसके कूल्हों के जोड़ की हड्डीयों में कोई अस्थिभंग नहीं होना पाया था, किन्तु दाहिने पैर की फिबुला हड्डी के उपरी भाग के नेक वाले हिस्से में अस्थिभंग होना पाया था। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त चिकित्सीय साक्षी के कथन से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि घटना के समय आहत नीमा उर्फ हिरमाबाई को दाहिने पैर में अस्थिभंग होकर घोर उपहति कारित हुई थी।

14— अनुसंधानकर्ता अधिकारी उमेलाल झूलेश्वर (अ.सा.7) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-21.07.2011 को थाना रूपझर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ होते हुए उसे प्रदर्श पी-6 की अस्पताल तहरीर प्राप्त होने पर जांच पर से एस.के.एम. बस क्रमांक-एम.पी-50 पी. 0236 के चालक के विरुद्ध में प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्रमांक-94/11, धारा-279, 337 भा.द.वि. लेख किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नजरीनक्शा प्रदर्श पी-2 साक्षियों के निशानदेही पर तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक-22.07.2012 को साक्षी राकेश, रूपेश, डोमाजी एवं दिनांक-24.07.2011 को हिरमाबाई, फूलवतीबाई, कृपालसिंह के बयान उनके बताए अनुसार लेख किया था। दिनांक-29.07.2011 को आरोपी शेख शकील से साक्षियों के समक्ष मिनी बस क्रमांक-एम.पी-50 पी. 0236 मय दस्तावेज के जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-4 के अनुसार जप्त किया था। उक्त दिनांक को ही साक्षियों के समक्ष आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-5 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। जप्तशुदा वाहन का विधिवत् वाहन परीक्षण करवाकर परीक्षण रिपोर्ट चालान के साथ संलग्न किया था। विवेचना पूर्ण कर प्रकरण की डायरी थाना प्रभारी की ओर प्रेषित किया था। साक्षी ने मामले में की गई संपूर्ण अनुसंधान कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित किया है।

15— अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण के कथन से यह तथ्य प्रमाणित होता है कि कथित दुर्घटना में आहत नीमा उर्फ हिरमाबाई को घोर उपहति कारित हुई थी। अभियोजन की ओर से किसी भी साक्षी ने अपनी साक्ष्य में यह नहीं बताया है कि उसके सामने ही दुर्घटना कारित हुई थी, बल्कि सभी साक्षीगण ने दुर्घटना के पश्चात् का वृत्तांत पेश कर घटना के बारे में जानकारी दी है। उक्त साक्षीगण के कथन से यह

तथ्य तो प्रमाणित है कि घटना के समय आरोपी के द्वारा ही दुर्घटना कारित वाहन बस का चालन किया जा रहा था, किन्तु उक्त वाहन को आरोपी द्वारा कथित उतावलेपन या उपेक्षा से चलाया जाने के संबंध में पूर्णतः साक्ष्य का अभाव है। स्वयं अभियोजन साक्षीगण ने इस तथ्य को साक्ष्य में स्वीकार किया है कि दुर्घटना में आरोपी की कोई गलती नहीं थी। इस प्रकार अभियोजन का मामला आरोपी के विरुद्ध पूर्णतः संदेहास्पद हो जाता है।

16— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में लोकमार्ग पर मिनी बस क्रमांक—एम.पी—50 पी. 0236 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करते हुए उक्त वाहन से ठोस मारकर आहत नीमा उर्फ हिरमाबाई को साधारण एवं घोर उपहति उपहति कारित किया। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 337, 338 के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

17— आरोपी के जमानत मुचलके निरस्त किया जाता है।

18— प्रकरण में आरोपी शेख शकील न्यायिक अभिरक्षा में नहीं रहा है। उक्त के संबंध में धारा 428 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पृथक से प्रमाणपत्र संलग्न किया जाये।

19— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन मिनी बस क्रमांक—एम.पी—50/पी—0236 मय दस्तावेज के सुपुर्ददार सुशील कुमार माईति पिता जी.सी. माईति, उम्र—50 वर्ष, निवासी उकवा, थाना रूपझर, जिला बालाघाट को सुपुर्दनामे पर प्रदान किया गया है, जो कि अपील अवधि पश्चात् उसके पक्ष में निरस्त समझा जावे अथवा अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट